न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, प्रथम, शिवहर।

वाद संख्या सी2—116/2020

दिनांक—08—01—2021

काराधीन अभियुक्ता—1. अमृता देवी, जिन्हें वाद संख्या सी2—116/2020 अन्तर्गतं धारा—30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के संदर्भ में दि0 26—12—2020 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अमलेश, द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार सिंह को सुना गया।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदिका अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदिका अभियुक्त निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदिका पर लगाया गया अभियोग सरासर झूठा एवं बनावटी है। आवेदिका का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका अभियुक्ता दि0 26—12—2020 से कारा में हैं। आवेदिका सक्षम बंध पत्र देने को तैयार हैं तथा उनके प्रपलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदिका अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सुचक, अभिषेक कुमार, एवं अन्य सशस्त्र बल के साथ गुप्त सुचना के आधार पर निरीक्षक मध निषेध, शिवहर के पर्यवेक्षण अपने अधिनस्थ मध निषेध कर्मियों के साथ अमृता देवी, अबैध देशी चुलाई शराब बिक्री केन्द्र पर छापेमारी की गई तो अमृता देवी के पास से दो प्लास्टिक के झोलें में पोलोथीन में बंधा हुआ अबैध देशी चुलाई शराब का 50 पैकेट जिसकी कुल मात्रा 10 लीटर है। जिसे विधिवत तलाशी लेने पर अबैध उत्पाद सामाग्री बरामद होने पर अभियुक्ता को उसे बिहार मध निषेध एवं उत्पाद (संशाधित) अधिनियम 2018 की धारा (30ए) के अन्तर्गतं गिरफ्तार कर एवं जब्ती सुची बनाकर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया।

विशेष लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका अभियुक्त प्रस्तुत वाद का नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदिका अभियुक्त के पास दो प्लास्टिक के झोलें में पोलोथीन में बंधा हुआ अबैध देशी चुलाई शराब का 50 पैकेट जिसकी कुल मात्रा 10 लीटर बरामदगी होने का आरोप है। आवेदिका अभियुक्त दि0 26—12—2020 से कारा में हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, विवेचित तथ्यों एवं आवेदिका अभियुक्त के कारा में बिताये अवधि एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवेदिका अभियुक्त—1. अमृता देवी, के द्वारा मो0—10,000/— दस हजार रुपया के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, कि अभियुक्ता के दोनों जमानतदार स्थानीय होने चाहिए, जिनके पास पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो एवं 2. आवेदिका अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगें कि वे अनुसंधान/विचारण के दौरान पूर्ण सहयोग करेगें।

लेखापित एवं संशोधित

Khyati

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
दिनांक— 08—01—2021